

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)  
कमली देवी वगै० बनाम रूकमा देवी वगै०

स मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु०नं० 168 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/307


हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील  
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेश शर्मा एड. उपस्थित। वकिल प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकिल प्रार्थीगण ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थीगण के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 4489 रकबा 5. 98है० राजस्व ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना का राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नही होगी।

प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 03.06.2025 को पेश हो।

  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

31/6/25


पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पत्रावली वास्तव में मादेशानुसार दिनांक 20/6/25 को पेश हुई।

20/06/2025

मनिषा

कविता

अदिति



अभिषेक



पद्मचक्रवर्ती

उ

उदयशर्मा

वकील जयगिण दयाल शा.पत्र मिले तब पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेश से पूर्व आज तलब की गई। वकील जयगिण ने शा.पत्र बाबत शा.पत्र टी.आई.वि.डी. पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली के मध्य राजीनामा हो गया है। इस कारण प्रकटा को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः शा.पत्र टी.आई.वि.डी. फॉर्म को रूपा करें। वकील जयगिण का शा.पत्र न्यायक्षेत्र में स्वीकार किया जाकर शा.पत्र टी.आई. इसी स्तर पर चलायी जा रही है। पत्रावली फॉर्मल शमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल दाखिल करत हो। निर्णय से इजलास

सुनाया गया।  
  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)